

बिहार सरकार  
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०-1/छात्रवृत्ति-रा०यो०-प्री-मैट्रिक-06/2010-37

पटना, दिनांक-6-12-13

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति) प्रदान करने हेतु कुल ₹ 18852.00 लाख (रूपये एक अरब अठासी करोड़ बावन लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति हेतु मूल बजट उपबन्ध के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-17 दिनांक-28.06.13 द्वारा कुल ₹ 54671.53 लाख (रूपये पाँच अरब छियालिस करोड़ एकहत्तर लाख तिरपन हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनः राज्य योजनान्तर्गत ₹ 18852.00 लाख (रूपये एक अरब अठासी करोड़ बावन लाख) का योजना उद्व्यय एवं प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा बजट उपबंध किया गया है। तदनुसार प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा उक्त कुल उपबन्धित राशि ₹ 18852.00 लाख (रूपये एक अरब अठासी करोड़ बावन लाख) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त संपूर्ण स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के राज्य योजना माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-0101-शिक्षा कूट संख्या-3401-छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड P2225032770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे।

4- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

5- संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। किसी जिले में उक्त स्वीकृत राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर फरवरी, 2014 में अवशेष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दी जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक-31.03.2014 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्रापट/बैंक खाता/नकद के रूप में नहीं रखा जाय।

7- विद्यालय छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण विभागीय संकल्प संख्या-53 दिनांक-12.11.2012 एवं पत्रांक-2339 दिनांक-22.11.13 के आलोक में किया जायेगा।


8- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी BTC Form-43 से संबंधित विपत्र पर की जायेगी।

9- प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

11- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

  
(डॉ० एन० विजयलक्ष्मी)  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-1/छात्रवृत्ति-रा०यो०-प्री-मैट्रिक-06/2010 37

पटना-15, दिनांक-6-12-13

प्रतिलिपि- विवरणी सहित वित्त विभाग (बजट शाख), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति मद में स्वीकृत राशि की विवरणी :-

(राशि लाख में)

क्र०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	पटना	780.00
2	नालंदा	475.00
3	रोहतास	570.00
4	भभुआ	280.00
5	भोजपुर	460.00
6	बक्सर	335.00
7	गया	630.00
8	जहानाबाद	215.00
9	अरवल	160.00
10	नवादा	400.00
11	औरंगाबाद	480.00
12	सारण	780.00
13	सिवान	665.00
14	गोपालगंज	505.00
15	मुजफ्फरपुर	830.00
16	सीतामढ़ी	620.00
17	शिवहर	105.00
18	प० चम्पारण	535.00
19	पू० चम्पारण	980.00
20	वैशाली	620.00
21	दरभंगा	535.00
22	मधुबनी	930.00
23	समस्तीपुर	840.00
24	सहरसा	370.00
25	सुपौल	465.00
26	मधेपुरा	480.00
27	पूर्णियाँ	685.00
28	अररिया	595.00
29	किशनगंज	200.00
30	कटिहार	500.00
31	भागलपुर	565.00
32	बाँका	415.00
33	मुँगेर	255.00
34	लखीसराय	190.00
35	शेखपुरा	112.00
36	जमुई	365.00
37	खगड़िया	365.00
38	बेगुसराय	560.00
	कुल योग	18852.00

(रूपये एक अरब अठासी करोड़ बावन लाख) मात्र

पत्रांक-37 दिनांक-6-12-13 का अनुलग्नक

6/12/13

सरकार के सचिव।